

अब दोहरे लाइसेंस से मिलेगी मुक्ति, कारोबार आसान होगा

डिरेगुलेशन 2.0 को लागू करने की कवायद तेज, नियमों में ढील बढ़ेगी

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ

प्रदेश सरकार व्यवसायों के लिए दोहरे लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त करने पर विचार कर रही है। इससे उद्यमियों को एक ही गतिविधि के लिए अलग-अलग विभागों से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कारोबार शुरू करने व संचालन की प्रक्रिया अधिक सरल हो सकेगी। इससे उद्योगों, व्यापारियों और निवेशकों को अनावश्यक प्रक्रियाओं और विभागीय जटिलताओं से राहत मिलेगी। सोमवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल ने 'अनुपालन न्यूनीकरण एवं विनियमन शिथिलीकरण 2025' (कम्प्लायंस रिडक्शन ऐंड डिरेगुलेशन) की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि डिरेगुलेशन 2.0 के जरिए उद्योग स्थापना की प्रक्रिया तेज होगी, निवेश आकर्षित होगा और एमएसएमई क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी। बैठक में व्यवसायों के लिए ड्यूल लाइसेंसिंग खत्म करने, दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से जुड़े नियमों को उदार बनाने और लीगल मेट्रोलाजी से संबंधित लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को



आसान बनाने के प्रस्तावों पर विस्तार से विचार किया गया। इन कदमों से कारोबारियों को एक ही कार्य के लिए कई विभागों से अनुमति लेने की आवश्यकता कम होगी और समय व लागत दोनों की बचत होगी।

यूपीसीडा होगी एकल नोडल एजेंसी

बैठक में भूमि उपयोग नियमों को सरल बनाने, औद्योगिक क्लस्टरों में भूमि के बेहतर उपयोग, निर्माण अनुमति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और अग्निशमन मानकों को वैश्विक स्टैंडर्ड के अनुरूप बनाने पर

भी चर्चा हुई। यह भी तय हुआ कि राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को औद्योगिक क्लस्टरों में एकल नोडल एजेंसी बनाया जाए। एमएसएमई क्षेत्र को राहत देने के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन आधारित सुविधाएं देने और अनावश्यक निरीक्षणों से छूट प्रदान करने, बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया तेज करने और सिंगल विंडो सिस्टम के टर्नअराउंड टाइम को घटाने के भी निर्देश दिए गए। यह भी कहा गया कि पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया तेज करने के लिए स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी की बैठकें नियमित तौर पर हों।

हेल्थ सेक्टर में लाइसेंसिंग प्रक्रिया सरल होगी

डिरेगुलेशन 2.0 में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी नियमों को और आसान बनाया जाएगा। पर्यटन के लिए सरता स्टे बनाने, निजी स्कूलों, विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भूमि उपलब्धता के मानक व्यवहारिक किए जाएंगे। वहीं, निजी क्षेत्र में अस्पतालों के पंजीकरण और लाइसेंसिंग की प्रक्रिया भी आसान बनाई जाएगी। एंडोमेंट फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कुछ शर्तों में भी छूट दिए जाने का प्रस्ताव है। डिग्रेडेड फॉरेस्ट एवं नॉन-फॉरेस्ट भूमि का लैंड बैंक तैयार करने के भी निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभाग प्रस्तावों को अध्ययन कर उसे जल्द लागू करें। जिन प्रस्तावों को तत्काल लागू करना संभव नहीं है, उनके कारण एक सप्ताह के भीतर इन्वेस्ट यूपी को बताए जाएं।